

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प, शाहपुरा

प्रशासन शास्त्र के राजी प्रमाणित 2022

216-

30-6-22

-:आदेश:-

फैलोअच कैम्प

25
2022

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री. राजेश चण्डा व भू.अ.नि. 21/15/22 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्री. राजेश चण्डा / नायब तहसीलदार श्री. राजेश चण्डा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्री. राजेश चण्डा तहसील शाहपुरा व जिला शाहपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 85 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जवानपुरा बाबाई	85	नन्दराम पुत्र पूरणलाल शुद्ध	नन्दराम पुत्र नन्दराम पुत्र पूरणलाल शुद्ध शेख शाह 21/15/22 कलेक्टर

(~~राजेश चण्डा~~)
पीठासीन अधिकारी
उप लोक अदालत अधिकारी
शाहपुरा उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहा. कलेक्टर,
शाहपुरा

क्रमांक :- 217-218

दिनांक :- 30-6-22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार श्री. राजेश चण्डा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री. राजेश चण्डा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उप लोक अदालत अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलेक्टर,
शाहपुरा

18
20/6